

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-मार्च, 2013 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 2013 (फाल्गुन 21, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार –

(क) मध्यप्रदेश विक्रमादित्य नॉलेज सिटी (उ) मर्यादित, उज्जैन का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 एवं वर्ष 2011-2012, तथा

(ख) मध्यप्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड का पैतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वित्तीय वर्ष 2011-2012 (दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए) पटल पर रखेंगे।

(2) श्री अजय विश्रोई, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, आरटीकल ऑफ एसोसियेशन की कंडिका 83 (बी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए) पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत कतारपुरा के सचिव द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य, सनावद स्थित अवंती सूत मिल वर्क्स समिति द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की ओर वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) डॉ. कल्पना परुलेकर, सदस्य, भोपाल में पदस्थ तत्कालीन उप पंजीयक द्वारा भू-खण्ड बेचने की नियम विरुद्ध अनुमति दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(4) श्री संतोष जोशी, सदस्य, शाजापुर जिले के सुसनेर क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क मार्ग की जर्जर स्थिति होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. वर्ष 2012-2013 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2012-2013 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के-

(क) ग्राम सनाई से मंडोर के बीच नाले पर रपटा निर्माण किये जाने,,

(ख) ग्राम घीतरी में नवीन पानी टंकी का निर्माण किये जाने, तथा

(ग) ग्राम सिरसोद से सलेया तक मार्ग निर्माण किये जाने ,

(2) श्रीमती रेखा, सदस्य, छतरपुर जिले के-

(क) मजगवा घाटी में सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम बगरोद में सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने, तथा

(ग) बड़ा मलेहरा मिटटी परीक्षण केन्द्र स्वीकृत किये जाने,

(3) श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्य, रायसेन जिले के-

(क) ग्राम बगलवाड़ा एवं सेमरीघाट के मध्य बारना नदी पर पुल निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम घुरैल से पलाका श्री तक सड़क निर्माण किये जाने,

(ग) ग्राम समनापुर से कटका श्री तक सड़क निर्माण किये जाने ,

(घ) ग्राम समनापुर काछी का नाम परिवर्तित किये जाने, तथा

(ङ) ग्राम जनकपुर की कामतौन नदी पर रपटा निर्माण किये जाने,

(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के-

(क) नगर में विमुक्ति, घुमककड़ जाति हेतु सामुदायिक भवन निर्माण किये जाने,

(ख) ग्राम कराहल के शासकीय कन्या हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने, तथा

(ग) ग्राम बरौली की शासकीय माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

- (5) श्री कुंवर सिंह टेकाम, सदस्य, सिंगरौली जिले के-
(क) ग्राम पापल में हैण्ड पंप खनन किये जाने,
(ख) ग्राम पापल में विद्युतीकरण किये जाने, तथा
(ग) ग्राम पापल में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,

- (6) श्री रामलखन सिंह, सदस्य, सतना जिले के-

- (क) ग्राम वर्ती के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने, तथा
(ख) ग्राम बहेलिया भाट के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

निर्धारित
समय

6. वर्ष 2012-2013 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

“दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 63, 64, 66, 72, 73, 74, 75 एवं 77 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तीन हजार एक सौ नौ करोड़, बहत्तर लाख, तीस हजार छह सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए।”

2 घण्टे

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2013 (क्रमांक 4 सन् 2013) का पुरःस्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाए।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

8. वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

1 घण्टा
30 मि.

- (1) मांग संख्या – 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मांग संख्या – 28 राज्य विधान मण्डल
मांग संख्या – 29 विधि और विधायी कार्य

1 घण्टा

- (2) मांग संख्या – 5 जेल
मांग संख्या – 36 परिवहन

2 घण्टे

- (3) मांग संख्या – 33 आदिम जाति कल्याण
मांग संख्या – 41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना
मांग संख्या – 49 अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमककड़ एवं अर्ध घुमककड़ जाति कल्याण
मांग संख्या – 64 अनुसूचित जाति उपयोजना

1 घण्टा

- (4) मांग संख्या – 6 वित्त
मांग संख्या – 7 वाणिज्यिक कर
मांग संख्या – 31 योजना, आर्थिक और सांख्यिकी
मांग संख्या – 60 जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
मांग संख्या – 61 बुन्देलखंड पैकेज से संबंधित व्यय.

1 घण्टा
30 मि.

- (5) मांग संख्या – 63- अल्पसंख्यक कल्याण
मांग संख्या – 66 पिछड़ा वर्ग कल्याण
मांग संख्या – 76 नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

भोपाल :
दिनांक : 11 मार्च, 2013

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

* अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.